

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर०एम०ए० वाद सं०-०३/२०१७

(साथ में आर०एम०आर०वा० सं०-०४/२०१७-१८ संलग्न)

मदन हेन्मन

बनाम

उमेश हॉसदा एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
05.01.2023	<u>आदेश</u> यह अपीलवाद, अपीलकर्ता मदन हेन्मन, पिता-स्व० बोडो हेन्मन, सा०-रामनाथपुर, थाना-हिरणपुर, जिला-पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के RER वाद सं०-२७/२००८-०९ में दिनांक ०२.०३.२०१७ को पारित आदेश के विरुद्ध (१) झारखण्ड राज्य एवं (२) उमेश हॉसदा, पिता-स्व० जेठा हॉसदा, सा०-कालीदासपुर, थाना-पाकुड़ (मु०) जिला-पाकुड़ वर्तमान पता सा०-रानीकोला, थाना-हिरणपुर, जिला-पाकुड़ को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के अपीलकर्ता मदन हेन्मन के द्वारा अंचल हिरणपुर के मौजा-रामनाथपुर के जमाबंदी सं०-१९ के विभिन्न दागों की कुल भूमि रकवा ०९-१६-०७ धुर एवं मौजा-रानीकोला के जमाबंदी सं०-२२ के विभिन्न दागों के अन्तर्गत कुल रकवा १४-१९-०४ धुर जमीन से इस वाद के उत्तरवादी सं०-०२ उमेश हॉसदा को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर RER वाद सं०-२७/२००८-०९ संस्थित करते हुए दिनांक ०२.०३.२०१७ को पारित आदेश द्वारा उच्छेदी संबंधी मदन हेन्मन के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। यह अपील आवेदन निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद के उत्तरवादी उमेश हॉसदा द्वारा भी निम्न न्यायालय के RER वाद सं०-२७/२००८-०९ में दिनांक ०२.०३.२०१७ को पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में रिविजन आवेदन दाखिल किया गया, जिसे RMR No-०४/२०१७-१८ के रूप में पंजीकृत किया गया। सदृश्य मामला रहने के कारण RMR No-०४/२०१७-१८ को इस वाद के साथ Amalgamate किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस को सावधानी पूर्वक सुना गया। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमाबंदी विगत सर्वे खतियान में पांडू हेन्मन एवं दुर्गा हेन्मन के नाम से दर्ज है। पांडू हेन्मन एवं दुर्गा हेन्मन	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	भाई थे। अपीलकर्ता पांडू हेम्वर के पौत्र हैं। दुर्गा हेम्वर की तीन पुत्रियाँ माघी हेम्वर, सुमी हेम्वर एवं झुरगी हेम्वर हुई, उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। तीनों पुत्रियों की शादी साधारण रीति से की गई। सुमी हेम्वर की साधारण शादी कालीदासपुर मौजा में एक जेठा हाँसदा के साथ हुई। उमेश हाँसदा (उत्तरवादी स0-02) उक्त जेठा हाँसदा के पुत्र है। खतियानी रैयत दुर्गा हेम्वर की तीनों पुत्रियों की शादी साधारण तरीके से होने के कारण संथाल रीति रिवाज के अनुसार प्रश्नगत जमाबन्दी की सभी भूमि खतियानी रैयत पांडू हेम्वर एवं उनके वंशजों की हो गई। तब से वे प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण भोग दखल कर रहे हैं। उत्तरवादी स0-02 गलत तरीके से प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं। उत्तरवादी स0-02 कालीदासपुर मौजा में रहते हैं तथा अपने पैत्रिक संपत्ति को भोग दखल कर रहे हैं। वे बाहरी व्यक्ति हैं एवं संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर उनका कोई हक एवं अधिकार नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादी स0-02 के विज्ञा अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में पांडू हेम्वर एवं डुगरु हेम्वर के नाम से दर्ज है। डुगरु हेम्वर का एक मात्र पुत्र लुरधु हेम्वर था। पांडू हेम्वर एवं डुगरु हेम्वर द्वारा प्रश्नगत भूमि का आधा-आधा बंटवारा कर उसका भोग-दखल किया जाने लगा। लुरधु हेम्वर को तीन पुत्रियाँ सुमी हेम्वर, दुर्गरी हेम्वर एवं मुनी हेम्वर हुई। इनका कोई पुत्र नहीं हुआ। लुरधु हेम्वर द्वारा अपनी बड़ी लड़की सुमी हेम्वर की शादी घरजमाई रीति से कालीदासपुर मौजा के जेठा हाँसदा के साथ की गई। घरजमाई शादी के बाद जेठा हाँसदा अपनी पत्नी के साथ मौजा रानीकोला में रहने लगे एवं लुरधु हेम्वर की संपत्ति का भोग दखल करने लगे। उमेश हाँसदा उक्त सुमी हेम्वर के पुत्र है। वर्ष-2009 से अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विवाद खड़ा किया जा रहा है ताकि उसे गलत तरीके से हड़प सके। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी स0-02 खतियानी रैयत डुगरु हेम्वर के वंशज है। सुमी हेम्वर की घरजमाई शादी के संबंध में वर्ष 1943 में एक घरजमाईनामा कागजात तैयार किया गया था। अंचल अधिकारी, हिरणपुर द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची सं0-19, दिनांक-07.06.2021 में भी उमेश हाँसदा को डुगरु हेम्वर का घरजमाई स्वरूप से परनाती बताया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	3
1	2 को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया है। संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया। उभय पक्ष के दलील एवं उपलब्ध कागजातों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमाबन्दी के खतियानी रैयत पांडू हेम्ब्रम एवं डुगरू हेम्ब्रम थे। अपीलकर्ता पांडू हेम्ब्रम के पौत्र हैं। डुगरू हेम्ब्रम के पुत्र लुरधु हेम्ब्रम को तीन पुत्रियों थी। उत्तरवादी स0-02 का कहना है कि तीन पुत्रियों में से बड़ी पुत्री सुमी हेम्ब्रम की घरजमाई शादी जेठा हाँसदा के साथ हुई थी। जबकि अपीलकर्ता का कहना है कि सुमी हेम्ब्रम की शादी साधारण रीति से हुई थी। मूल विवाद यही है कि सुमी हेम्ब्रम की शादी घरजमाई रीति से हुई थी या साधारण रीति से। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल घरजमाईनामा संबंधी कागजात एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा पारिवारिक सूची सं0-19 दिनांक 07.06.2021 से यह स्पष्ट है कि सुमी हेम्ब्रम की शादी घरजमाई रीति से जेठा हाँसदा के साथ हुई थी। अपीलकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि जेठा हाँसदा द्वारा अपने पैत्रिक संपत्ति, मौजा-कालीदासपुर का भोग दखल किया जाता था। माननीय Judicial Magistrate 1st class पाकुड़ के PCR No-93/71 (TR No-626/74) में दिनांक 02.07.1975 को पारित आदेश के Finding में यह वर्णित है कि I Find that accused persons were in possession of the land in question be it be illegally or legally, Peacefully or forcibly, after the death of Lordho Hembrom उक्त वाद में accused 01 जेठा हाँसदा एवं 02 उमेश हाँसदा हैं। उक्त Finding से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर जेठा हाँसदा एवं उमेश हाँसदा का दखल रहा है। अपीलकर्ता द्वारा अपने मूल अपील आवेदन के साथ संलग्न वंशावली में उक्त लोरधो या लुरधु हेम्ब्रम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है। उभय पक्ष के विज्ञा अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित।  उ.प. अधिकारी, पाकुड़।  उ.प. अधिकारी, पाकुड़।	